राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सवेाएं
(महिला एवं बाल विकास विभाग)
2, जल पथ गांधीनगर, जयपुर

क्रमांक एफ.11(3)10/मो./आईसीडीएस/2013/70835 दिनांक 27-4-18

.आदेश

समेकित बाल विकास सेवाऐं (ICDS) के तहत स्वैच्छिक व मानदेय आधारित सेवा के रूप में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के चयन, सेवा से हटाये जाने एवं अन्य सेवा शर्तों के सम्बन्ध में विभाग द्वारा क्रमांक एफ.11(3)10/मो./आईसीडीएस/2011/150819 दिनांक 09.11.2016 को परिपत्र जारी किया गया था। उक्त परिपत्र के अनुसार मानदेय कर्मियों द्वारा 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर मानदेय सेवाऐं स्वतः समाप्त किये जाने का प्रावधान किया गया है। इस सम्बन्ध में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है–

1. प्रत्येक त्रैमास की प्रथम तिथि को बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा उन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/आशा सहयोगिनी की सूची जारी की जाएगी जिनकी आगामी त्रैमास में 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के कारण मानदेय सेवा समाप्ति होगी। उक्त सूची की एक प्रति सम्बन्धित मानदेयकर्मी को भी दी जाएगी। सामान्यतः 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर मानदेयकर्मियों को मानदेय सेवा से पृथक कर दिया जाएगा।

2. ऐसी मानदेयकर्मी जो 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात् भी मानदेय सेवा जारी रखने की इच्छुक हैं और शारीरिक व मानसिक रूप से फील्ड कार्य करने में सक्षम हैं, सेवा अवधि विस्तार के लिए संलग्न प्रपत्र 'अ' में बाल विकास परियोजना अधिकारी को स्वास्थ्य प्रमाणपत्र (जो सीएचसी या उच्चतर राजकीय चिकित्सा संस्थान के प्रमुख द्वारा जारी किया गया हो।) संलग्न करते हुए आवेदन कर सकेंगी। उक्त आवेदन व्यक्तिशः या ईमेल द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा। आवेदन की प्राप्ति रसीद आवश्यक रूप से उपलब्ध करायी जाएगी। आवेदन की एक प्रति ईमेल द्वारा सम्बन्धित उपनिदेशक एवं निदेशक को आवश्यक रूप से भिजवायी जाएगी।

3. मानदेय कर्मियों द्वारा मानदेय सेवा वृद्धि से सम्बन्धित ऐसे आवेदन प्राप्त होने पर बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा इस आशय के लिए संधारित किये जाने वाले रजिस्टर में प्रविष्टि की जाएगी और आवेदक को रसीद के साथ ही प्राप्ति रजिस्टर क्रमांक उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदन के निस्तारण के लिए इस उद्धेश्य हेतु गठित समिति की सदस्य सचिव (उपनिदेशक,महिला बाल विकास) के समक्ष प्रकरण स्पष्ट टिप्पणी व अनुशंषा के साथ सात दिवस में अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाएगा। सात दिवस में ऐसी टिप्पणी प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और इसे मानदेय सेवा विस्तार के लिए उसकी सहमति मानी जावेगी।

4. मानदेय सेवा अवधि में विस्तार समिति निम्नानुसार गठित की जाती है–

ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र
1.मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद– अध्यक्ष। 2.मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) सदस्य 3.सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी 4.उपनिदेशक महिला बाल विकास विभाग–सदस्य सचिव	1. अतिरिक्त कलक्टर – अध्यक्ष 2 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) सदस्य 3..सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी 4.उपनिदेशक महिला बाल विकास विभाग–सदस्य सचिव

5. उक्त समिति की बैठक प्रत्येक माह में एक बार आवश्यक रूप से होगी। नियमित बैठक के लिए उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास उत्तरदायी होगा। प्रत्येक बाल विकास परियोजना अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि मानदेयकर्मी की सेवा समाप्ति तिथि से पूर्व ही प्रकरण समीक्षा हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत करे। समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों का निस्तारण 10 दिन में अनिवार्यतः किया जाएगा। समिति की बैठकों के आयोजन के लिए तिथि निर्धारण, एजेण्डा जारी करने, बैठक का आयोजन करने एवं बैठक कार्यवाही विवरण जारी किये जाने का उत्तरदायित्व उपनिदेशक महिला बाल विकास का होगा।
6. समिति द्वारा सेवा विस्तार के लिए परीक्षण करते समय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानसिक एवं भौतिक स्वास्थ्य, कार्य निष्पादन, क्षमता, गृह सम्पर्क क्षमता, कार्य के प्रति लगन एवं समर्पण तथा कार्य/सेवा प्रदाय करने के बारे में प्राप्त प्रशंसा/शिकायतों को ध्यान में रखा जाएगा। अधिकतम 2 वर्ष के लिए सेवा विस्तार किया जा सकेगा।
7. समिति के निर्णयानुसार सेवा अवधि विस्तार या सेवा समाप्ति का आदेश उपनिदेशक द्वारा कार्यवाही विवरण के साथ ही जारी किया जाऐगा। सेवा विस्तार के आदेश में सेवा समाप्ति की तिथि स्पष्ट रूप से अंकित की जावे। किसी भी स्थिति में 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात् सेवा अवधि का विस्तार नहीं किया जाएगा।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

आयुक्त
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ.11(3)10/मो./आईसीडीएस/2013/ 70836-71865 जयपुर, दिनांकः 27-4-18

प्रतिलिपि :–

1 संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2 विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4 निजी सचिव, आयुक्त, समेकित बाल विकास सेवाएं, मुख्यालय।
5 प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
6 आयुक्त, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग,जयपुर राज.।
7 समस्त जिला प्रमुख।
8 समस्त जिला कलेक्टर।
9 समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
10 समस्त उप–निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग।
11 प्रधान समस्त पंचायत समिति।
12 समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति।
13 समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी को आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु।
14 ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु।
15 समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।

संयुक्त निदेशक (मो.)
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर

प्रपत्र– 'अ'

आँगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आँगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के पद सेवा विस्तार हेतु आवेदन–पत्र

(आवेदन दो प्रति में भरें)

बाल विकास परियोजना : .... **जिला :** ....

ग्राम पंचायत/शहरी निकाय का नाम ....

राजस्व ग्राम/वार्ड ....

आँगनबाड़ी केन्द्र का नाम ....

(जिसके लिए आवेदन किया है)

1. मैं दिनांक .... से आंगनबाडी केन्द्र.........................में कार्यरत हूं, मै सेवा विस्तार के लिए इच्छुक हूं। कार्य अवधि के दौरान मुझे निम्न प्रशंसा–पत्र प्राप्त हुए है, मैं शारीरिक व मानसिक रूप से फील्ड कार्य करने में सक्षम हूँ। जिसका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संलग्न है।
   1. ....
   2. ....
   3. ....
   4. ....

दिनांक ....

....

हस्ताक्षर(आवेदनकर्ता)

घोषणा

1. मैं शपथपूर्वक घोषणा करती हूँ कि आवेदन पत्र में दी गई जानकारी/सूचनाएं मेरी जानकारी अनुसार सत्य एवं पूर्ण हैं। मैंनें कोई सूचना नहीं छिपाई है। यह जानकारी/सूचनाएं असत्य अथवा अप्रामाणिक पाये जाने पर मेरा आवेदन निरस्त होने पर मैं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहूँगी।
2. मुझे विदित है कि आवेदित पद पूर्णतः मानदेय आधारित, अस्थायी एवं स्वैच्छिक सेवा भावना से कार्य करने का पद है।
3. मैं यह भी घोषणा करती हूँ कि मेरे घर में शौचालय है जिसका नियमित उपयोग किया जाता है।

दिनांक ....

....

हस्ताक्षर(आवेदनकर्ता)

रसीद यहाँ से फाड़ कर आवेदनकर्ता को दी जाये

आवेदन पत्र प्राप्ति की रसीद

क्रमांक .... दिनांक ....

श्रीमती .... पत्नी श्री .... निवासी .... से आँगनबाड़ी केन्द्र .... के लिए पद ....सेवा विस्तार हेतु आवेदन पत्र मय ....संलग्नक प्राप्त किया गया।

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता